Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- विधायक द्वारा दो करोड़ रूपये की रिश्वत मांग कर, 20 लाख रूपये की रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार।
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाश जारी।

जयपुर, 04 मई, रविवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की विभिन्न टीमों द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री जयकृष्ण पटेल, वर्तमान विधायक बागीदौरा बांसवाड़ा राजस्थान एवं दलाल श्री विजय कुमार पटेल को **20,00,000/— रूपये** रिश्वत के रूप में प्राप्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा** ने बताया श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री राम निवास मीना द्वारा शिकायत दी गई कि माननीय विधायक बागीदौरा श्री जयकृष्ण पटेल द्वारा हमारे पर अवैध खनन का आरोप लगाकर विधानसभा में बार—बार प्रश्न लगाकर हमारे उपर दबाव बनाकर रिश्वत राशि की मांग कर रहें है।

जिस पर एसीबी इन्टेलीजेंस जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस—द्वितीय श्री राहुल कोटोकी** के सुपरविजन में एसीबी इन्टेलीजेंस जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु** के नेतृत्व में **श्रीमती सरोज धायल पुलिस निरीक्षक** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया गया जिसमें आरोपी द्वारा दो करोड़ की रिश्वत की मांग किया जाना पाया गया तथा उक्त रिश्वत राशि किस्तो में देने हेतु आरोपी द्वारा दबाव बनाया गया, जिसके क्रम में आज रिश्वत मांग अनुरूप बीस लाख रूपये लेने हेतु आरोपी श्री जयकृष्ण पटेल आज जयपुर आये थे, जिस पर ट्रेप कार्यवाही की जाकर आरोपी श्री जयकृष्ण पटेल वर्तमान विधायक बागीदौरा बांसवाड़ा राजस्थान व दलाल श्री विजय कुमार को परिवादी से **20,00,000/— रूपये** की रिश्वत प्राप्त करने पर गिरफ्तार किया गया।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।